



*Journal of Advances and
Scholarly Researches in
Allied Education*

*Vol. VI, Issue No. XI, July-
2013, ISSN 2230-7540*

REVIEW ARTICLE

**हरियाणा व राजस्थान की लोक-कथाएँ-एक
विवेचन**

AN
INTERNATIONALLY
INDEXED PEER
REVIEWED &
REFEREED JOURNAL

हरियाणा व राजस्थान की लोक-कथाएँ-एक विवेचन

Haryana Va Rajasthan Ki Lok Kathayen Ek Vivechana

Dr. Jasbir Singh

Asst. Professor Seth Tek Chand College of Education, Rattan Dera (Kurukshetra)

-----X-----

राजस्थान व हरियाणा प्रदेश लोक-कथा के व्यापक विस्तार की कुंजी है। राजस्थान में लोक कथा के लिए सामान्यतया 'बात' शब्द का व्यवहार होता है। यहां बड़ी संख्या में कथाएँ 'बातों' के रूप प्रचलित हैं। किंतु इसमें सामान्य लोक कथा से कुछ विशिष्ट विशेषताएं सामने आती हैं। उनमें कम या अधिक मात्रा में साहित्यिकता दृष्टव्य है। उनकी कहने की प्रक्रिया, लय सामान्य कथा से पृथक कर देती है और बात कहने वाला वक्ता भी उसी शैली के माध्यम से अपनी बात कहता है। लेकिन साधारण जनता में 'कथा' शब्द को ज्यादा महता मिली है। व्रत-संबंधी कथा में महिला के आंतरिक भाव अपनी कथा कहने की शैली द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। उनके कथा कहने की अलग रीति है। विशेषकर दोनों प्रदेशों में जैसे: कहानी को कहानी न 'काणी' या 'कहाणी' कहना उनका शब्द रुढ़ शब्द बन गया है।

हरियाणा व राजस्थानी लोक-कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन के सम्बंध में डॉ जगदीश नारायण तथा भोलानाथ शर्मा ने लिखा है कि 'लोक-कथाओं के लोकगीत समाज में बनते, परिवर्तित होते और आगे चलते रहते हैं। नये लोक-गीतों के साथ पिछले धुलते जाते हैं। नई पीढ़ी नये भाव, यही तो इनकी परम्परा है। गीतों में विज्ञान की कांट-छांट नहीं, मानव संस्कृति की सरलता और व्यापक भावों का उभार होता है। भावों कह लड़िया लम्बे-लम्बे खेतों-सी स्वच्छ, पेड़ों की नंगी डालियों सी 'रफ' और मिट्टी की तरह सत्य है। उसमें कृत्रिमता का अभाव है।'¹

वह सदैव मानव की मूल-भावनाओं के चित्रकार रहें हैं। तभी तो लोकगीत कभी नहीं होते, लेकिन वे नवीन भी नहीं कहलाते।

हरियाणा व राजस्थान में कथा कहने की प्रक्रिया 'हुंकारा' शब्द से ही शुरू होती है। कथा कहने वाला इस विषय में पूरा ध्यान रखता है कि श्रोता का ध्यान कहीं और जगह न जाए अर्थात् एकाग्रचित अवस्था में रहें। 'बात में हुंकारौ अर फोज में नगरौ' तो राजस्थान प्रदेश की एक कहावत बन चुकी है। इस प्रकार कथा या कहानी के आरंभ में ऐसा वातावरण बना लिया जाता है कि यह किया हुंकारा चलती रहे। बिना 'हुंकारा' के बात आगे नहीं बढ़ सकती। हरियाणा प्रदेश में तो यदि श्रोता बात का हुंकारा न दे तो बात उसी समय समाप्त कर दी जाती है।

हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र समतल कृषि योग्य भूमि का है। बड़ी-बड़ी वनखंड, असंख्य पशु पलते हैं और धार्मिक परम्परा का निर्वहन करते हैं, वहीं राजस्थान एक मरु प्रदेश की संभा से अभिभूत अपनी धारणाएं, विश्वास और धार्मिक परम्परा का आदि रहा है। दोनों ही प्रदेशों में लोक-कथा के दर्शन ग्रामीण अंचल की पहचान है। रात-रात भर जाग कर कथा या कहानी कहने

की परम्परा कोई अन्य प्रदेश इस अनूठे अंदाज को भूला नहीं सकता।

राजस्थानी और हरियाणा लोक-कथाओं में कहानियों का प्रचलन एक प्रमुख-विशेषता मानी गई है। इस सम्बंध में शोधार्थी ने 'हरियाणा ज्योति नवम्बर, 1966 पृ0 37 के माध्यम में लिखा है कि 'एक बार इसा होया के दुफरा ठल्या भी न था के डाकी डाभ खाणा दुकड़िया मै आया। छोरे-छोरे तास्यां मै रंमड रहें थे, बाजी का रंग चढ़ रहया था। चौधरी सांढब होक्का पींदे-पींदे किसे सोच-सी मै डूब रहे थे। डाबी-डाभ खाणा खिलखिलांद आया-

'चौधरी साहब चाला पाटग्या।

मटै के नैक माल कर दिया।

के होया बी।

बस के बुझों से, आज तै एक बूढ दूढ

- नै हद्दे तार दी।

छोरया के कान खड़े होये।

और सारे अपने-अपने पत्थां नै चौधरी साहब के हौकै के धोरे चारु पास्यां बैठगे। एक बार तो इस लाग्या जणु किसे नै चाणचक चिड़िया मै डाल फांक दिया हो अर वे उड कै न किसे दरख्त पै बैठ कै न चीचीं करण लाग पड़ी हो'²

सात्विक जीवन की कामना से अनुप्राणित ये लोक-कथाएं जिनमें मांस-मदिरा तक का नाम नहीं आता। पंचायत-चौपाल, संन्यासियों व योगियों के प्रति सम्मान का भाव, अतिथि सत्कार और शरणागत की रक्षा परम धर्म मानी गई है। नारी के प्रति शंका की दृष्टि, लोगों की दरिद्रता, अन्न जल संकट तथा लूट-मार व चोरी डकैती के प्रसंग लोक-कथानियों में जाल की तरह छाया हुआ रहता है। जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण की विभीषणता तथा उसकी स्पष्टाभिव्यक्ति करना लोक-कथाओं का प्रमुख कार्य रहा है। दोनों ही प्रदेशों में ग्रामीण संस्कृति का चित्रण लोक-कथाओं में अवश्य उभरा है क्योंकि प्रकृति की गोद में बसे हरियाणा व राजस्थान की लोक कथाएं मुहावरों व लजोकोक्तियों से भी रिक्त नहीं हैं। डॉ जगदीश नारायण व भोलानाथ शर्मा ने लोककथाओं का विवेचन अधिक स्पष्ट ढंग से किया है। वे लिखते कि- 'हरियाणा व राजस्थानी जीवन को भजन के माध्यम से समझा जा सकता है। मनुष्य संसार में

अकेला आया है और अकेला ही जायेगा। कोई उसका संगी—साथी नहीं होगा।

पड़ाव लौ सारी दुनिया चलैगी,

आगे जीवड़ा अकेला हो राम'³

लोक जीवन की सच्चाई को स्वाभाविकता तथा संक्षिप्तता प्रदान करना लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा ही संभव है। इनके द्वारा हम लोगों के जीवन का सहज अनुमान लगा सकते हैं। हरियाणवी लोक-कथाओं की गद्य-शैली में निम्न मुहावरे दिए गए हैं जैसे—

बुढ़िया की अक्कल मारण खातर यो सांग भर्यों थो।

आपणें छोरा नै देख कै मा हरी हो गई, आई मिरा चांद।

इसी प्रकार राजस्थानी लोक-कथाओं में भी हरियाणा संदेश की तरह मुहावरों व लोकोक्तियों के उदाहरण स्पष्टतः देखे जा सकते हैं जैसे—

देर है, अंधेर कोनी “डोकरी की बात”, लोक कथा

सूत्यां की पाडा जणै “जाट की भैंस”, लोक कथा

देर है अंधेर कोनी—अर्थात् भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं

इसी तरह मुहावरों में भी ‘छठ में चौदस करणी’ नामक राजस्थानी बात में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार राजस्थानी बातों के रूप कहावतों में मिलते हैं जैसे—काठ री हांडी धोखेबाज, खंडे री धार मुश्किल बात कांन रौ काच्चौ शीघ्र बात मानने वाला भेडाचाल देखा देखी बूरोड़ौ मतीरौ गुणगान व्यक्ति ठाडे रौ डोको बड़े का भय इत्यादि।

राजस्थानी व हरियाणवी प्रदेशों में लोक-कथाओं का वातावरण लौकिक व अलौकिक रूपों में मिलता है। लोक-कथाओं में वातावरण का आधार स्थानीय विशेषताओं में निहित रहता है। डॉ. किटरेज ने लिखा है कि— ‘लोक-साहित्य का शिक्षा से कोई उपकार नहीं होता। जब कोई जाति पढ़ना— सीख जाती है, तो वह सबसे पहले अपनी परम्परागत गाथाओं का तिरस्कार करना सीखती है। परिणाम यह होता है कि जो एक समय सामूहिक जनता की सम्पत्ति थी, वह केवल अब अशिक्षितों की पैतृक सम्पत्ति मानी जाती है।’⁴

अधिकांश ग्रामीण कहानियों में वातावरण की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पात्रों के नाम, जाति, उनके रहने के स्थान, उनके पेशे और उनकी प्राकृतिक परिस्थितियाँ कथा के परिवेश को अपने ही वातावरण में प्रस्तुत किया करती है। राजा सुल्तान और निहालदे वन में उसी प्रकार सोते हैं जैसे कि खाती, सुनार व दर्जी के पुत्र। ये कहानियाँ कृत्रिम वातावरण तथा अभिजात-चेतना से बिल्कुल शून्य है। ऊँच—नीच का भेदभाव भी इनके अंतर्गत नहीं है। लोक-कथाएं लोकोक्ति-साहित्य के माध्यम से अधिक उभरी हैं। डॉ० सत्येन्द्र ने लिखते हैं कि— ‘लोकोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार की उक्ति लोकोक्ति है। इस विस्तृत अर्थ को दृष्टि में रखकर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं एक पहेली, दूसरा कहावतें।’⁵

लोक-कथाओं के पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से दो रूप सामने आए हैं। एक सद व कुशल चरित्र, जो सद की

सापेक्ष-मान्यता का खंडन करता हो। इसी प्रकार दूसरा चरित्र जो बुरा है वह पूर्ण कथा में कुटिलता, प्रपंच और बुराई का कार्य करता रहेगा। लोक-कथाओं के चरित्र हमें उनके साहसी, वीर नायक निर्वृद्ध रूप में पहाड़ों को पार लेता है, समुद्र में मार्ग बना लेता है और अलौकिक पात्रों को जीत लेता है। हरियाणा व राजस्थान की लोक-कथाएं चरित्र-चित्रण की दृष्टि से समान हैं। इन लोक-कथाओं की चारित्रिक विशेषताओं में लोक संस्कृति का पुट विद्यमान रहता है। लोक-संस्कृति की अजस धारा एक नदी की भांति बहती रहती है, जो इन कथाओं में सामान्य रूप से साफ झलकती है। डॉ० देव कथुरिया ने लिखा है कि— ‘साहित्य शास्त्र में प्रेम का मूल उत्स आश्रय का मनोनुकूल आलम्बन है। जो लोक कथाओं में एक तेज जल धारा के समान प्रभावित होता है।’⁶

हरियाणा व राजस्थान की लोक-कथाओं में कथारुढ़ि और अभिप्रायों का प्रयोग एक-दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता रहा है। हरियाणा की लोक-कथाओं के कथानक रुढ़ि इस प्रकार हैं जैसे—

दानवों को महल में जाना

माता के दूध की धार शिशु के मुंह में जाना

आदर्शवादी व्यक्तियों के लिए सांप का लाल बन जाना व लालची बनिये के लाल का सांप में बदल जाना।

पशु-पक्षियों आदि का मनुष्य के साथ रहना तथा उनसे बातें करना।

इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश की कथाओं में भी कथानक रुढ़ि का प्रयोग सामने आता है। जैसे—

असंभव के द्वारा असंभव का निराकरण

रूप परिवर्तन

लिंग परिवर्तन

लौटने की प्रतिज्ञा

हसंन और रोना

जादू की डोरी

विवाहार्थियों के नाग-पाश आदि अभिप्राय राजस्थान व हरियाणा प्रदेश में मिलते-जुलते हैं। डॉ० अशोक तिवारी ने लिखा है कि— ‘प्राचीन लोक साहित्य में भारतीय एवम् ईरानी काव्य-रुढ़ियों का समावेश भी हुआ है। इन प्रेमगाथाओं में प्रायः वे सभी काव्य-रुढ़ियाँ मिल जाती हैं। जो परम्परा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही है। जैसे चित्र- दर्शन, स्वप्न- दर्शन या शुक्र सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु-पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मन्दिर या उपवन में प्रेमी युगल का मिलन होना।’⁷

भाव व कलापक्ष की दृष्टि से दोनों प्रदेशों की लोक-कथाएं अपनी विशेषता में असमानता नहीं दिखाती। लोक-संस्कृति के हर पहलू से संबंधित इन कथाओं का वातावरण अलग पहलू रखता है। कोई भी कथा ऐसी नहीं जो लोक की भावाभिव्यक्ति से बाहर हो। दोनों प्रदेशों की कथानक रुढ़ि का क्षेत्र विस्तृत है।

लेकिन विस्तार भय के कारण कुछेक कथानक रूढ़ियों के नाम यहां गिनाए हैं। हरियाणा राजस्थान प्रदेश की लोक संस्कृति की परम्परा में लोक-कथाओं में शीर्षक की प्रधानता भी समान रूप से पाई जाती है। दोनों ही प्रदेशों की लोक-कथाएं शीर्षक व प्रतीक योजना से अभिभूत हैं। नायक के नाम पर कथा का शीर्षक होना जैसे-अमर, सिंह, बाबू जी।

इसी प्रकार कथा में पात्रों की जाति व नामकरण के आधार पर कथा का नाम रख लेना— 'ब्राह्मण और धोबी' सुनार का पुत्र, बनिये का पुत्र। इसी प्रकार कथाओं का शीर्षक कहावती रूपों, व्रत-संबंधी रूप माता की कथा किन कथाओं में राजा या राजकुमार का नायक रूप में वर्णन होता है उन्हें राजा की बात या राज कुमार या राजकुमारी की बात कह दिया जाता है। **नानूराम संस्कृति** की दृष्टि में— 'राजस्थानी लोककथाएं, कहानियां सुनने, सुनाने का बड़ा प्रचलन है। लिखित रूप में भी बातों की छटा देखने योग्य हैं, और मौखिक बातों की तो गिनती भी नहीं होती। साथ ही एक बात अनेक-रूपानतरो में सुनी जाती है। लोकप्रचलित चीज के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है।'⁸

अधिकतर कथाएं इसी सामान्य नामकरण के आधार पर चलती हैं। प्रेम-कथाओं के नामकरण में नायक-नायिका के नाम साथ-साथ रहते हैं जैसे-हीर-रांझा, लैला-मजनूँ, सोहनी-महिवाल। पशु-पक्षियों के नाम के आधार पर भी लोक-कथाओं के शीर्षक बना लिए जाते हैं। अधिकतर कथाएं, जो रोमांच व मनोरंजन का वातावरण पैदा करती हैं उन्हीं कथाओं में शीर्षक पशु-पक्षियों के नाम के आधार पर होते हैं जैसे चिड़िया और मूसी की कहानी 'अंहकारी गीदड़' 'खरगोश की बात', हिरण की बात आदि कथाएं हैं।

राजस्थानी लोक-कथाओं में छोटे की प्रधानता काफी व्यापक है। उन लोगों में कथा या कहानी को कहने से पूर्व छोटे की कुछ पंक्तियां गाई जाती हैं। ये छोटे हर बात या कथा में जीवन के हर आयाम से संबंधित होते हैं जैसे :-

“बात साची भली पोथी बांची भली

छेह साजी भली बहू लाजी भली

मौत मोड़ी भली मंसा थोड़ी भली

घाव पाटी भली भाख फाटी भली।”⁹

उक्त छोटे इन राजस्थानी में बहुत अधिक विस्तार लिए हुए हैं। प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त कुछ 'बिड़दाव' भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 'बिड़दाव' भी इसी तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रायः इस प्रकार के 'बिड़दाव' विरुद्ध-गान में कथा के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है। डॉ. चिन्तामणि उपाध्याय ने अपने आलोच्य ग्रन्थ में स्पष्ट किया है कि— 'लोक वस्तुतः ग्रामीण और नागरिक, दोनों के लिए है। इसलिए लोक-गीत सामान्य जनता द्वारा उद्भूत मौखिक गीत के अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। इससे लोक-साहित्य, लोककथा और लोक-नाट्य आदि शब्दों के अर्थ में व्यवस्थित हो जाते हैं। दोनों ही प्रदेशों में कथा समाप्ति पर भी कुछ बातें कही जाती हैं। बालकों को कही जाने वाली बातों में तो प्रायः कुछ इस प्रकार के हास्यास्पद वाक्यांश ही कहे जाते हैं जैसे:-

इति सी बात, गधे मारी लात

गधे कहै मेरै पूछ कोनी,

फलाणियों कहै मेरै मूछ कोनी,”¹⁰

ऐसी हंसी-मजाक वाली उक्ति शुरू करते ही बालकों को भावी कथन का पता लग जाता है और वे हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं।

ठसी तरह यह उक्ति भी अत्यंत प्रचलित है:-

आपौ-आपरै घरै जावा, कांदा रोटी खावौ

बावरी रौ पांणी पीवौ, गर्ध माथै चढौ।”¹¹

शब्दार्थ:- कांदा-प्याज, बावड़ी-कुआं

इस प्रकार राजस्थानी व हरियाणवी लोक-कथाओं की पृष्ठभूमि बड़ी सजल है, हर प्रदेश में इन बातों का कोई सानी नहीं है। दोनों ही प्रदेशों की लोक-कथाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती हैं। डॉ. सीतारामश्याम के अनुसार— 'हरियाणा और राजस्थानी लोककथाओं में विवाह और प्रेम के विविध रूपों का विश्लेषण बड़ी ही निर्भीकता से किया जाता है। अनमेल विवाह दहेज प्रथा आदि पर तो व्यंग्य होता ही है, गुप्त-प्रेम और अवैध-प्रेम व्यापार आदि की पोल खोलने में भी लोक-साहित्य विद्या के पात्र हिचकिचाते नहीं हैं। हास्य में ही वे इन बातों पर इस प्रकार प्रकाश डालते हैं कि दर्शकों को वस्तु स्थिति को समझने में देर नहीं लगती और सम्बद्ध व्यक्ति लज्जा से अपनी गर्दन झुका लेता है।'¹²

सर्वमंगल की इच्छा करना, कहानी सुनने व सुनाने से यही भाव साफ दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति जो बात सुनता है, वह दूसरों की घृणा व गलतियों की ओर ध्यान न दे व उनके गुणों से अपने जीवन का उद्धार करें। मानव की समस्त भावनाओं का चित्रण दोनों ही प्रदेशों की लोक-कथाओं में मिलता है तथा प्रेम का अभिन्न पुट, अश्लीलता का अभाव, शांतरस से सन्नी हुई, स्पष्टवादिता के कारण श्लील-अश्लील का अंतर न रहना मुख्य गुण है। दुःखांत व सुखान्त दोनों ही विशेषताएं इन प्रदेशों की लोक-कथाओं की खास प्रवृत्ति है। धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, पौराणिक कथाओं का बोलबाला इन प्रदेशों की लोक-कथाओं की समानता है। रहस्य, रोमांच, अलौकिकता तथा युक्ति चमत्कार का समिश्रण विद्यमान है।

'भारतीय लोक कथाओं ने विश्वभर में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। आज जो महाभारत, पंचतंत्र, जातक और कथासरित् जातक और कथासरित्-सागर के सिवाय जैसे साहित्य का कथा भंडार भी खुलता जा रहा है। शाक्तों, पशुपातों, नाथों, वैष्णवों और सौगतों के ग्रंथों का प्रकाशन क्रमशः होता जा रहा है।'¹³

राजस्थानी लोक कथाओं में कई पात्र उभरकर ऊपर आ गए हैं। इनके साथ अनेक कहानियां जुड़ गई हैं। लाल-बुझावड़ और सेखसल्लि शेखचिल्ली इस प्रकार के दो नाम हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई मसखरों के कारनामों लोक कथा का रूप धारण कर चुके हैं। हरियाणवी लोक कहानियों के पात्र पशु-पक्षी, जीव-जन्तु से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक हैं।

कभी-कभी तो भगवान विष्णु स्वयं भिखारी के वेश में 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम' आदि कहानियों के पात्र बने हैं। नारद, लक्ष्मी और महाराज परशुराम ने भी इन कहानियों में अभिनेतृत्व किया है।

राजस्थान की ऐतिहासिक कथाओं में तत्कालीन में तत्कालीन परिस्थितियों एवं वातावरण की स्पष्ट छाप अंकित है। वातावरण की दृष्टि से इन कथाओं में स्थानीय रंगत एवं भौगोलिक प्रभावों का विशेष रूप से प्रस्तुतीकरण हुआ है।

इस प्रकार लोक-कथाओं के उक्त विवेचन में जीवन के विविध पहलुओं का पूर्ण रेखांकन करने से दोनों ही प्रदेशों की लोक-कथाएं भाव की दृष्टि से समानता की पक्षधर हैं। एक ही अंतर तुलनात्मक पद्धति को दर्शाता है। वह है भाषा का अंतर। यह अंतर समाप्त हो जाता है तो फर्क करना संभव ही नहीं है। राजस्थान व हरियाणा आपसी सीमा से सटे हुए प्रदेश काफी समानता लिए हुए हैं लेकिन लोक-संस्कृति का जो व्यापक-पुट राजस्थान में दिखाई देता है। वह शायद ही कहीं दिखाई दे। उक्त विवेचन से लोक-साहित्य व संस्कृति की परम्परा में लोक कथाओं के विवेचन से बड़ा ही उपयोगी फल प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- 1 हरियाणा प्रदेश के लोकगीतों का सामाजिक पक्ष — डॉ० जगदीश नारायण और भोलानाथ शर्मा, पृ० 51-52
- 2 हरियाणा ज्योति, नवम्बर, 1966, पृ० 37.
- 3 हरियाणा प्रदेश के लोकगीतों का सामाजिक पक्ष, डॉ० जगदीश नारायण और भोलानाथ शर्मा, पृ० 130.
- 4 दा बैलड— डॉ० किटरेज: पृ० 12.
- 5 ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन — डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 473.
- 6 हिन्दी कहानी साहित्य — प्रेम-सौन्दर्य— डॉ० देव कथूरिया, पृ० 31.
- 7 राजस्थानी लोक-साहित्य, नानूराम संस्कर्ता, पृ० 108.
- 9 राजस्थानी लोकसाहित्य का सैद्धान्तिक विवेचन, डॉ० सोहनदास चारण, पृ० 77.
- 10 वही पृ० 108-109
- 11 वही पृ० 129
- 12 हिन्दी नाटक समाजशास्त्री— अध्ययन, डॉ० सीताराम श्याम, पृ० 77
- 13 हरियाणा लोकसाहित्य में प्रेम-सौन्दर्य, डॉ० शिवचरण शर्मा, पृ० 187.